उत्तराखण्ड शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
संख्या– 231/XIX-1/2026/07 खाद्य 2017
देहरादून दिनांक–16 मार्च, 2026

व्यावसायिक एल0पी0जी0 सिलेन्डर के वितरण हेतु एस0ओ0पी0 (SoP)

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में संचालित शीतकालीन यात्रा तथा आगामी माह से प्रारंभ हो रही चारधाम यात्रा के दृष्टिगत पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों द्वारा व्यावसायिक एल0पी0जी0 सिलेन्डर्स की आपूर्ति न होने पर पर्यटन व्यवसाय प्रभावित होने की आशंका जतायी, जो राज्य के आर्थिक हितों के प्रतिकूल हो सकता है।

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में राज्य में अस्पतालों तथा शैक्षिक संस्थानों की मांग के अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता का 20 प्रतिशत तक उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति तथा समस्त जिलाधिकारियों से बैठक में सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त विभिन्न व्यवसायों हेतु प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया, तद्क्रम में अग्रिम आदेशों तक व्यावसायिक एल0पी0जी0 सिलेन्डर के आवंटन हेतु राज्य स्तरीय समिति के परामर्श तथा राज्य की तीनों गैस वितरण कंपनियों की सहमति के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से एस0ओ0पी0 (SOP) निर्धारित की जाती है:–

क्रम संख्या	श्रेणी	दैनिक आवश्यकता का 20 प्रतिशत	आवंटन प्रतिशत	व्यावसायिक एल0पी0जी0 सिलेन्डरों की मांग
01	फार्मास्युटिकल (लाईफ सेविंग ड्रग)	190	7%	190
02	होटल एवं रिजोट	750	28%	750
03	रेस्टोरेन्ट एवं ढाबा	1000	37%	1000
04	सरकारी एवं सरकारी नियन्त्रण के गेस्टहाउस	150	6%	150
05	डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण	130	5%	130
06	औद्योगिक केन्टीन	150	6%	150
07	पेइंग गेस्ट सुविधा वाले छात्रों के आवास	150	6%	150
08	होम स्टे तथा स्वयं सहायता समूहों के प्रतिष्ठान	130	5%	130
कुल		**2650**	**100%**	**2650**

उपरोक्त प्रकार से आवंटन के अनुसार राज्य की 03 आपूर्तिकर्ता तेल व गैस कंपनियों (OMC) आई0ओ0सी0एल0, बी0पी0सी0एल0 एवं एच0पी0सी0 एल0 में उनकी वर्तमान बाजार में हिस्सेदारी के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा । सभी तेल व गैस कम्पनियों के राज्य प्रमुख उपरोक्तानुसार व्यवसायिक गैस की आपूर्ति करेंगे तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी को भी सूचित करेंगे।

.......2

उपरोक्त आवंटित व्यावसायिक एल0पी0जी0 सिलेन्डरों को जनपदवार उनके गैस कनेक्शनों की संख्या के अनुरूप निम्नानुसार आवंटित किया जाता हैः–

कम संख्या	जनपद का नाम	व्यावसायिक एल0पी0जी0 वितरण हेतु आवंटन का प्रतिशत
01	देहरादून	31%
02	टिहरी	04%
03	हरिद्वार	13%
04	पौड़ी	04%
05	रूद्रप्रयाग	05%
06	उत्तरकाशी	04%
07	चमोली	06%
08	नैनीताल	13%
09	बागेश्वर	02%
10	अल्मोड़ा	04%
11	ऊधमसिंह नगर	09%
12	पिथौरागढ़	03%
13	चम्पावत	02%

(आनन्द स्वरूप)
सचिव,

<u>संख्या– 231/XIX–1/2026/07 खाद्य 2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ ।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ
10. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. डिविजनल हेड, एल0पी0जी0, आई0ओ0सी0एल0, उत्तराखण्ड।
12. टेरीटरी मैनेजर, एल0पी0जी0, बी0पी0सी0एल0, रूड़की।
13. चीफ रीजनल मैनेजर, एल0पी0जी0, एच0पी0सी0एल0, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली।

16/3/2026

(आनन्द स्वरूप)
सचिव,